न्यायालय सिविल जज (जू0डि0)/जे0एम0, जेवर गौतमबुद्धनगर
उपस्थितः निमिषा गुप्ता (उ० प्र० न्यायिक सेवा)

J.O.CODE-UP3346

CNR-UPGB120029632022

सरकार बनाम डूंगर

मु0अ0सं0—239/2015
वाद संख्या—455/2016
धारा—60/63 आबकारी अधिनियम
थाना—रबूपुरा, जिला—गौतमबुद्धनगर

दिनांक 13—10—2022

आज अभियुक्त **डूगर पुत्र काशी** की ओर से द्वारा अधिवक्ता मु0अ0सं0—239/2015, वाद संख्या—455/2016, अन्तर्गत धारा—60/63 आबकारी अधिनियम, थाना—रबूपुरा, जिला—गौतमबुद्धनगर के मामले में थाना रबूपुरा की पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया गया, अभियुक्त की ओर से द्वारा अधिवक्ता जमानत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया।

अभियुक्त रिमाण्ड पर न्यायिक अभिरक्षा में मौजूद है।

अभियुक्त के विद्वान अधिक्ता को जमानत प्रार्थना पत्र पर सुना तथा प्रपत्रों का अवलोकन किया।

अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता की ओर से कथन किया गया है कि अभियुक्त के द्वारा कोई अपराध कारित नहीं किया गया है। अभियुक्त को उपरोक्त मुकदमा में झूंठा फंसाया गया है। जिस समय रिपोर्ट दर्ज हुई थी, उस समय उक्त अपराध जमानतीय था।

सुना तथा प्रपत्रों का सम्यक् परिशीलन किया गया। परिशीलन से विदित होता है अभियुक्त अपराध अन्तर्गत धारा—60/63 आबकारी अधिनियम से आरोपित है। घटना के समय उक्त अपराध जमानतीय श्रेणी में आता था। मामला मजिस्ट्रेट द्वारा परिक्षणीय है। अतः मामले के समस्त तथ्यों एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए जमानत का आधार पर्याप्त है एवं जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने योग्य है।

आदेश

अभियुक्त **डूगर पुत्र काशी** द्वारा प्रस्तुत जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। अभियुक्त द्वारा 25,000/— रूपये (25 हजार रूपये) के दो प्रतिभू व समान धनराशि का व्यक्तिगत बन्धपत्र न्यायालय में प्रस्तुत करने पर जमानत पर रिहा किया जाये।

सिविल जज (जू0डि0)/जे0एम0
जेवर, गौतमबुद्धनगर

Digitally signed by NIMISHA GUPTA
Date: 2022.10.13 18:29:02 IST
Reason: Document Owner
Location: Outlying Court, Jewar, GBN